

कम्प्यूटर संख्या-1888287  
संख्या-304/नौ-8-24/05ज/2024

प्रेषक,

पारस नाथ,  
अनुसचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अधिशासी अधिकारी,  
नगर पंचायत, भोगाँव, जनपद-मैनपुरी,
2. अधिशासी अधिकारी,  
नगर पंचायत, हरिहरपुर, जनपद- संतकबीरनगर।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ : दिनांक 11 फरवरी, 2025

**विषय:-** पार्कों का निर्माण एवं विकास योजना के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भोगाँव, जनपद-मैनपुरी एवं नगर पंचायत हरिहरपुर, जनपद-संतकबीरनगर द्वारा निकायों में पार्कों का निर्माण एवं विकास योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पार्कों का निर्माण एवं विकास योजना के अन्तर्गत उक्त दोनों निकायों यथा- नगर पंचायत भोगाँव, जनपद-मैनपुरी एवं नगर पंचायत हरिहरपुर, जनपद- संतकबीरनगर को पार्कों का निर्माण एवं विकास योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रूपये 133.91 लाख (रूपये एक करोड़ तैंतीस लाख इक्यानबे हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	निकाय का नाम	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (लाख में)	प्रथम किश्त में अवमुक्त की गई धनराशि (लाख में)	द्वितीय किश्त की देय धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत भोगाँव, जनपद-मैनपुरी	शा0सं0-253/2024/413/नौ-5-2024/001 दिनांक 13 जनवरी, 2024	104.98	50.00	54.98

2	नगर पंचायत हरिहरपुर, जनपद- संतकबीरनगर	शा0सं0-253/2024/413/नौ-5- 2024/001 दिनांक 13 जनवरी, 2024	158.93	80.00	78.93
		<b>योग</b>	<b>263.91</b>	<b>130.00</b>	<b>133.91</b>

(रूपये एक करोड़ तैतीस लाख इक्यानवे हजार मात्र)

### नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य/बैंक/डाकघर/पी०एल०ए०/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी।
- (3) पार्क के लिए चाहर-दीवारी तथा यथासंभव पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।
- (4) पार्क में महिला एवं पुरुष प्रसाधन अलग-अलग होंगे।
- (5) पार्क में घास एवं पर्याप्त हरियाली के लिए छायादार पेड़ पौधे तथा फूल इत्यादि लगाये जायेंगे।
- (6) शुद्ध पेयजल एवं पेड़ पौधों की सिंचाई हेतु समसंबिल पम्प लगाये जायेंगे।
- (7) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
- (8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।
- (9) प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (10) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- (11) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (12) व्यय की गयी धनराशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार विवरण शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।
- (13) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (14) कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व, संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी की होगी।
- (15) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त, नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण हो,



## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025  
आवंटन दिनांक-11/02/2025

प्रेषण संख्या:- 304  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-304-9-8-24-05J-2024  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
80 - सामान्य  
800 - अन्य व्यय  
15 - स्वतंत्रता सेनानियों / शहीदों की स्मृति में पार्को / प्रदर्शनी स्थलों/  
सभागार / कार्यालय भवन का निर्माण एवं विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मैनपुरी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5498000 5498000	5498000 5498000
2	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7893000 7893000	7893000 7893000
	योग	वर्तमान प्रगामी	13391000 13391000	13391000 13391000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ तैंतीस लाख इकानवे हजार  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ तैंतीस लाख इकानवे हजार

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव